न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ईश्वरलाल खटीक (आरएएस), उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट

राजस्व वाद संख्या : 2023/6 — दायर दिनांक :– 06.12.2023

निर्णय दिनांक :– 01.02.2024

अनवान

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
श्री गौतम पि थोबजी नि खुमानपुर वगैरा	बनाम	भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीदार गलियाकोट वगैरा

वकील प्रार्थी –श्री निखिल सोमपुरा

अप्रार्थी 1 – स्वयं

अप्रार्थी 2 व 3 – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :–

- प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण पाटीदार समाज कडवु खुमानपुर के नुमाईदे होकर समाज हित मे समाज की तरफ से उक्त प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पेश किए जाने एव राजस्व न्यायालय की कार्यवाही हेतू अधिकृत है। मौजा खुमानपुर मे सम्वत् 2006 से खसरा नम्बर 285 की कुल भूमि 09 बिस्वा यानि 0.0728 हेक्टयर की भूमि सामलात पटेलान पटेल कडवी सा. देह खतेदार के नाम से दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी जिसमे एक कुऑ भी सम्मिलित है उक्त भूमि का सम्वत् 2008 मे खसरा नम्बर 362 रकबा 9 बिस्वा था सेटलमेन्ट सम्वत् 2022 मे उक्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते दर्ज रेकार्ड हो उसका वर्तमान नम्बर 285 है जबकी वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर पाटीदार समाज खुमानपुर का कब्जा हो उनके द्वारा उसका उपयोग उपभोग किया जाता आ रहा है। वादीगण/प्रार्थीगण के खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जेशुदा कृषि भूमि मौजा खुमानुपर प.ह. सेमलिया घाटा भू.अभि.नि.क्षैत्र जोगपुर में खाता संख्या 367/1 खसरा नम्बर 285 रकबा 3.5272 हेक्टयर मेसे रकबा 0.0728 हेक्टयर की स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि वादीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त हो वर्तमान मे ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज रेकार्ड है और उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के द्वारा किया आता जा रहा है तथा समाज का नोहरा उक्त भूमि पर बनाए जाना प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 285 के कुल रकबा मेसे रकबा 0.0728 हेक्टयर कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी मे तत्कालिन राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटि से ग्राम पंचायत सेमलिया घाटा के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया है इसकी जानकारी वादीगण/प्रार्थीगण को मौके पर अतिक्रमीयो द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास करने के दौरान वर्तमान मे विवाद होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क करने से हुई है। राजस्व कार्मिको की त्रुटि से खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0728 हेक्टयर कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण/वादीगण के नाम दर्ज नही है जिससे प्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0728 हेक्टयर को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती व पैमुदगी करते हुए प्रार्थीगण/वादीगण के समाज समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज,खुमानपुर के नाम से दर्ज रेकार्ड किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती व पैमुदगी कर वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0728 हेक्टयर को पटवारी के पास संधारित रेकार्ड मे ईन्द्राज व पैमुद किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। उक्त खाते मे इन्द्राज दूरस्ती से वादीगण/प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के रकार्ड मे समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर के नाम दर्ज किया जाता है तो इससे ग्राम पंचायत अप्रार्थी 1 को कोई आप्पति नही है और किसी भी पडौसी खातेदार/काश्तकार को कोई क्षति नही पहूचेंगी। वादीगण/प्रार्थीगण की भूमि को लेकर विवाद होने पर उक्त खाते की नकल हल्का पटवार से दिनाक 11.06.2023 को प्राप्त होने से वादीगण/प्रार्थीगण को मामले की जानकारी हुई जिससे वाद/प्रार्थना पत्र को पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ हैं। तहसीलदार साहब गलियाकोट जो प्रतिवादी/अप्रार्थी हैं को लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं परन्तु उनके विरूद्व कोई प्रभावी दाद नही चाही गई हैं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को सीपीसी के प्रावधानो के तहत नोटिस मे नही

लगातार....1

दिया गया है जिससे धारा 80 सीपीसी के नोटिस की छूट प्रदान कर प्रार्थना पत्र/वाद दर्ज कर न्यायहित मे सुनवाई की जानी आवश्यक है। वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 285 कुल रकबा 3.5272 हेक्टयर मेसे खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0728 हेक्टयर को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करते हुए समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर के नाम से राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद कर ईन्द्राज व पैमुद किया जावें। इत्यादि.................।

- यह कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र/वाद पत्र नियमानुसार दर्ज किया गया एवं अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर अप्रार्थी संख्या 1 तरफ से स्वय अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित हो प्रार्थना पत्र/वाद पत्र की ईबारत को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरस्ती अगर की जाती है उन्हे कोई आपत्ति नही हो स्वीकारोक्ति दी गई।

- अप्रार्थी/प्रतिवादी 1 व 2 के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 3 भूमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर अशुद्वि को शुद्व करना उचित ठहराया गया। अप्रार्थी 1 से 3 का जवाब शामील पत्रावली किया गया जिस आधार पर इस न्यायालय की सुविचारित राय में प्रकरण के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :-

  1. **" आया प्रार्थना पत्र में मौजा खुमानपुर पटवार हल्का सेमलिया घाटा भू0अ0नि0 वृत्त जोगपुर तहसील गलियाकोट के खाता संख्या 367/1 के खसरा नम्बर 285 कुल रकबा 3.5272 हैक्टयर में से रकबा 0.0728 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की होकर समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज खुमानपुर के नाम से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती व पैमुदगी कराने का अधिकारी है ?"**

- उक्त बिन्दू संख्या 1 पर इस न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

- न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान पठन किया गया। मेरें द्वारा पत्रावली का आद्योपन्त अध्ययन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड व प्रदर्श के अनुसार तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी के जवाब के आधार पर खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जेशुदा कृषि भूमि मौजा खुमानुपर प.ह. सेमलिया घाटा भू.अभि.नि.क्षैत्र जोगपुर में खाता संख्या 367/1 खसरा नम्बर 285 रकबा 3.5272 हेक्टयर मेसे रकबा 0.0728 हेक्टयर की समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर के नाम दर्ज स्थित हो उनका कब्जा मौके पर है। खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0728 हेक्टयर को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती व पैमुदगी उक्त खाते मे इन्द्राज दूरस्ती से वादीगण/प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के रकार्ड मे समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर के नाम दर्ज किया जाता है तो इससे ग्राम पंचायत अप्रार्थी 1 को कोई आप्पति नही है और किसी भी पडौसी खातेदार/काश्तकार को कोई क्षति नही होगी प्रार्थी/वादी के समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर नाम की अशुद्वि हुई है जिसे सुधार किया जाकर मौजा खुमानुपर प.ह. सेमलिया घाटा भू.अभि.नि.क्षैत्र जोगपुर में खाता संख्या 367/1 खसरा नम्बर 285 रकबा 3.5272 हेक्टयर मेसे रकबा 0.0728 हेक्टयर मे प्रार्थी/वादी के समस्त पाटीदार पटेल कडवी समाज, खुमानपुर का नाम दर्ज रेकार्ड किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर **सामलात पटेलान पटेल कडवी सा. देह** के नाम खाते मे दर्ज किया जाकर पैमूद किया जावे। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 3 को जारी की जाती है। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 01.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01/2/24

(ईश्वरलाल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट